(भारत के राजपत्र के भाग-1, खण्ड-1 में प्रकाशनार्थ)

सं. एफ.9-43/2006-यू.3 (ए)

भारत सरकार

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(उच्चतर शिक्षा विभाग)

शास्त्री भवन, नई दिल्ली

दिनांक:27 मई, 2015

अधिसूचना

जबकि केन्द्र सरकार ने, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) अधिनियम 1956 की धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यूजीसी की सलाह पर अपनी दिनांक 6 जून, 2007 की अधिसूचना संख्या 9-43/2006/यू3(ए) द्वारा यह घोषित किया है कि स्वामी राम विद्यापीठ, स्वामी राम नगर, पोस्ट ऑफिस डोईवाला, देहरादून, उत्तराखंड जिसमें केवल चिकित्सा कॉलेज आता है, उपर्युक्त अधिनियम के उद्देश्यार्थ उस तारीख से सम-विश्वविद्यालय होगा जिस तारीख से स्वामी राम विद्यापीठ अपने चिकित्सा कालेज (हिमालयन चिकित्सा विज्ञान संस्थान) को संबद्ध विश्वविद्यालय अर्थात् हेमवती नंदन बहुगुणा, गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर (गढ़वाल) उत्तराखंड से असंबद्ध करता है। यह अधिसूचना निम्नलिखित शर्तों के पूरा होने के अध्यधीन जारी की गई है:

(I) स्वामी राम विद्यापीठ और इसके चिकित्सा कालेज, (हिमालय चिकित्सा विज्ञान संस्थान) की चल-परिसंपत्तियां विद्यार्थियों, संकाय सदस्यों, कर्मचारियों के भविष्य के हित में 'सम-विश्वविद्यालयी' संस्था का प्रबंध और उच्चतर शिक्षा मानकों का रख-रखाव करने के लिए सृजित न्यास के पूर्ण नियंत्रण में होंगी।

(II) स्वामी राम विद्यापीठ को यूजीसी के अनुदेशों के अनुसार यूजीसी के पूर्व अनुमोदन के बिना परिसम्पत्तियों के निर्धारण, परिसम्पत्तियों का अन्यत्र प्रयोग (Non-Diversion) और यूजीसी परिसंपत्तियों आदि के सम-विश्वविद्यालय को बंद करने या विलय करने की दशा में उपबन्ध बनाने और नियंत्रण में लेने के मामलों के संबंध में कानूनी वचनबद्धता प्रस्तुत करनी होगी।

(III) स्वामी राम विद्यापीठ और न्यास जो इसे संचालित करेंगे, उन्हें ऐसे कार्यकलाप प्रारंभ नहीं करने चाहिए जिनकी प्रकृति व्यावसायिक और लाभ कमाने की हो।

(IV) स्वामी राम विद्यापीठ या इसकी कोई भी घटक इकाई ऐसा कोई भी पाठ्यक्रम कार्यक्रम संचालित नहीं करेगी जो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और उपयुक्त सांविधिक परिषदों जैसे भारतीय चिकित्सा परिषद, भारतीय दंत परिषद् आदि द्वारा जैसा भी मामला हो, विधिवत् रूप से अनुमोदित न हों।

(V) प्रवेश, विद्यार्थियों की दाखिला क्षमता, नए पाठ्यक्रम/कार्यक्रम आदि को प्रारंभ करने के मामले में संगत सांविधिक परिषदों और अन्य संबंधित प्राधिकरणों के सभी निर्धारित मानक और प्रक्रियाएं लागू रहेंगी और इनका विद्यापीठ और इसकी संघटित इकाई द्वारा कठोरता से पालन किया जाएगा।

(VI) स्वामी राम विद्यापीठ अपने चिकित्सा कालेज द्वारा चलाए जा रहे पाठ्यक्रम के संबंध में केवल उन विद्यार्थियों को डिग्री आदि प्रदान करेगा जो विद्यार्थी उस तारीख के बाद जिसको यूजीसी अधिनयम 1956 के उद्देश्य के लिए यह अधिसूचना जारी की गई थी संस्थाओं/कालेजों में नामांकित हुए हों।

(VII) जो छात्र इस अधिसूचना से पहले विद्यापीठ/चिकित्सा कालेज में पहले से ही नामांकित हों वे विद्यार्थी अपना अध्ययन वर्तमान संबद्ध विश्वविद्यालय नामतः हेमवती नंदन बहुगुणा, गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर गढ़वाल, उत्तराखंड के तहत जारी रखेंगे, जो ऐसे पाठ्यक्रमों/कार्यक्रमों की जांच करेगा और उन्हें सफलतापूर्वक पूरा करने पर डिग्री प्रदान करेगा जिन्हें वे वर्तमान में कर रहे हों।

(VIII) स्वामी राम विद्यापीठ या उसकी संघटक इकाई कोई भी डिग्री जैसा भी मामला हो, जो यूजीसी द्वारा निर्दिष्ट न हो, प्रदान नहीं करेगी। यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि इसके द्वारा प्रदान की गई डिग्रियों की नाम पद्धतियां यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 22 के तहत यूजीसी द्वारा विनिर्दिष्ट की गई हों।

(IX) स्वामी राम विद्यापीठ, परिवार एवं स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय और अन्य उपयुक्त सांविधिक परिषदों को संचालित किए जाने वाले पाठ्यक्रमों, छात्रों इत्यादि के प्रवेश की क्षमता, के संबंध में अपेक्षित नवीकरण का अनुमोदन/अनुमति, जैसा भी मामला हो, निर्धारित समय-सीमा के तहत नियमित रूप से प्राप्त करेगा।

(X) स्वामी राम विद्यापीठ यूजीसी के दिनांक 12 मार्च, 2007 के परिपत्र संख्या एफ6-1(7)/2006 (सीपीपी-1) के तहत जारी अनुदेशों के अनुसार वैध प्रत्यायन प्राप्त करने के लिए सभी अपेक्षित कदम उठाएगा।

(XI) स्वामी राम विद्यापीठ यूजीसी और दूरस्थ शिक्षा परिषद् के पूर्व अनुमोदन के बिना कोई भी दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम नहीं चलाएगा।

(XII) स्वामी राम विद्यापीठ यूजीसी का अपेक्षित पूर्व अनुमोदन प्राप्त किए बिना कोई भी अध्ययन केन्द्र/कैंपस से बाहर केन्द्र नहीं चलाएगा।

(XIII) स्वामी राम विद्यापीठ उस यूजीसी विशेषज्ञ समिति द्वारा दिए गए सुझावों का कार्यान्यन और उनका कड़ाई से पालन करेगा जिसने अवसंरचना सुविधाओं के क्षेत्रों में सुधार और अनुसंधान कार्यकलाप के लिए संबंधित संस्थाओं का दौरा किया था और जांच की थी।

(XIV) संस्थान जब भी आवश्यक हो, यूजीसी के परामर्श और सहमति से अपने संगम ज्ञापन और नियमों को उपयुक्त रूप से संशोधित और अद्यतन करेगा।

(XV) स्वामी राम विद्यापीठ और इसकी संघटक इकाई यूजीसी, परिवार और स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय और उपयुक्त सांविधिक परिषदों (जैसे एमसीआई, डीसीआई आदि) और अन्य संबंधित प्राधिकरणों द्वारा सम-विश्वविद्यालय के रूप में संस्थाओं को अधिसूचित करने से संबंधित समय-समय पर निर्धारित मानकों और दिशा-निर्देशों का पालन करेगा।

2. और जबकि, स्वामी राम विद्यापीठ ने, स्वामी राम विद्यपीठ को मूल सोसायटी अर्थात् हिमालयन हास्पिटल ट्रस्ट संस्थान (एचआईएचटी) में विलय और स्वामी राम विद्यपीठ का नाम एचआईएचटी विश्वविद्यालय में बदलने के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। तत्पश्चात, केन्द्र सरकार ने यूजीसी की सलाह पर दिनांक 4 मार्च, 2008 की अधिसूचना संख्या 9-43/2006/यू 3 द्वारा स्वामी राम विद्यापीठ की मूल समिति अर्थात् एचआईएचटी को विश्वविद्यालय में बदलने हेतु प्रस्ताव को तत्काल प्रभाव से अनुमोदित कर दिया है जिसमें केवल चिकित्सा कालेज ही है।

3. और इसके अतिरिक्त, जबकि, एचआईएचटी, ने दिनांक 19.8.2013 को प्रबंध बोर्ड द्वारा पास किए गए संकल्प के बाद यूजीसी (सम विश्वविद्यालय संस्थान) विनियम, 2010 के खण्ड 22.4 के अनुसरण में सम-विश्वविद्यालय के दर्जे को समाप्त करने के लिए 21 अगस्त 2013 के अपने पत्र द्वारा भारत सरकार को आवेदन किया है। विनियमों के खण्ड 22.4 में कहा गया है कि यदि कोई

विश्वविद्यालयवत् संस्था, सम-विश्वविद्यालय संस्थान के दर्जे से स्वयं को या अपने संघटकों को इसके दर्जे को समाप्त करना चाहता है तो वह केन्द्र सरकार की पूर्व-अनुमति से ऐसा कर सकता है। ऐसे दर्जे को तभी समाप्त किया जाएगा जब उसमें तब नामांकित छात्रों को अंतिम बैच विश्वविद्यालय संस्था से उत्तीर्ण हो जाए।

4. बाद में, केन्द्र सरकार ने दिनांक 30 सितम्बर, 2013 के अपने पत्र संख्या 9-43/2006 यू 3(ए) द्वारा सम-विश्वविद्यालय के दर्जे को समाप्त करने के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय से निर्देश प्राप्त करने की सलाह दी क्योंकि यह मामला सम-विश्वविद्यालय के वर्ग 'ग' से संबंधित मामला है जो वर्तमान में उच्च न्यायालय में न्यायाधीन है।

5. और जबकि, एचआईएचटी विश्वविद्यालय ने सम विश्वविद्यालय के दर्जे को समाप्त करने के लिए अनुरोध के साथ अन्तवर्ती आवेदन संख्या 67 दायर किया है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने दिनांक 5.5.2014 के आदेश से यह स्पष्ट किया है कि इस न्यायालय द्वारा पास किया गया यथास्थिति आदेश प्रतिवादी संख्या 33 अर्थात् एचआईएचटी विश्वविद्यालय (आईए संख्या 67) के समक्ष कोई अड़चन पैदा नहीं करेगा जिसमें दर्जा समाप्त करने की मांग और भारत संघ सरकार से दर्जा समाप्त करने का प्रमाणपत्र मंजूर करने की मांग की गई है।

6. अब इसलिए, केन्द्र सरकार ने यूजीसी अधिनियम 1956 की धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद् द्वारा यह घोषित किया है कि एचआईएचटी को सम-विश्वविद्यालय संस्था के रूप में घोषित करने वाली दिनांक 6 जून 2007 की अधिसूचना को दाखिल किए गए विद्यार्थियों के अंतिम बैच के उत्तीर्ण होने की तारीख से दर्जा समाप्त किया हुआ माना जा सकता है। इसके अतिरिक्त, एचआईएचटी सम-विश्वविद्यालय के संस्थापक का यह मुख्य उत्तरदायित्व होगा कि वह उनके द्वारा नामांकित विद्यार्थियों के अंतिम बैच के छात्रों के हितों की रक्षा करें।

इशिता रॉय

(इशिता रॉय)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

प्रबंधक,
भारत सरकार मुद्रणालय,
फरीदाबाद (हरियाणा)

सूचना हेतु प्रति प्रेषितः

1. सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002. यूजीसी ने सम् विश्वविद्यालयों की सूची से एचआईएचटी विश्वविद्यालय का नाम हटाने का अनुरोध किया है।
2. अवर सचिव, (एमई-पी.11) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (स्वास्थ्य विभाग), निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011
3. सचिव, भारतीय चिकित्सा परिषद (एमसीआई) पॉकेट-14, सेक्टर-8, द्वारका, फेज-1 नई दिल्ली-110075
4. सचिव, भारतीय दन्त परिषद् (डीसीआई), एवान-ए-गालिब मार्ग, कोटला रोड़, टेमल लेन, नई दिल्ली-110002
5. कुलपति, एचआईएचटी विश्वविद्यालय, स्वामी राम
6. नगर, पोस्ट ऑफिस डोईवाला, देहरादून, उत्तराखंड़-248140
7. मुख्य सचिव उत्तराखंड़, उत्तराखंड़ राज्य सरकार, देहरादून, उत्तराखंड़।
8. प्रैस सूचना ब्यूरो, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001.
9. महासचिव, भारतीय विश्वविद्यालयी संघ, एआईयू हाउस, 16 कोटला मार्ग, नई दिल्ली-110002.
10. निदेशक (वेब मास्टर), उच्चतर शिक्षा विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली। यह अनुरोध किया जाता है कि सीआईएमएस इकाई को उच्चतर शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर इस अधिसूचना को डालने के लिए आवश्यक अनुदेश जारी किए जाएं।

(रीना सोनोवाल कोली)
निदेशक